FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई मुकाम अराई (अजमेर)

मूल चन्द पुत्र बिरदीचन्द जाति कलाल निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरांई जिला अजमेर राज व अन्य।

–प्रार्थी

बनाम

कुंजबिहारी पुत्र बाछू राम , जाति छीपा, निवासी 20 जैन विहार कॉलोनी, खादी ग्रामोद्योग रोड, सांगानेर ला जयपुर राजस्थान व अन्य।

अप्रार्थीगण।

स्म मुकदमा– धारा 212 राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 33/2023

ऑनलाइन नंबर 2023/57.........

प्रार्थी:– योगेश शर्मा

वकील अप्रार्थीगण........

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा हो चुकी । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब कर दिनांक 25.08.2023 को पेश हो। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जावेगा। प्रार्थना पत्र अस्थाई के बिन्दु पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955 के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 मे वर्णित आराजी कृषि भूमि ग्राम ढसूक पटवार हल्का ढसूक तहसील अरांई में स्थित भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या 280 खसरा संख्या 222 कुल रकबा 1.9416 हैक्टेयर स्थित है जिसमें प्रार्थी सं0 01 लगायत 4 प्रत्येक का 1/56 हिस्सा सहखातेदार के रूप मे निहित है। अप्रार्थीगण द्वारा खातेदारी भूमि को खुर्द–बुर्द कर प्रार्थी के विधिक अधिकारों को महरूम करने पर उद्धत है एवं अप्रार्थीगण भूमि को बेचान करना चाहते है। अप्रार्थीगण ब्लॉत बेदखल करने पर उतारू है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगण उपरोक्त भूमि के मौके की यथास्थिति व प्रार्थी के हिस्से आराजी में उपयोग उपभोग हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व प्रार्थना पत्र की आकस्मिकता के अनुसार अप्रार्थीगणों को प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 मे वर्णित आराजी कृषि भूमि ग्राम ढसूक पटवार हल्का ढसूक तहसील अरांई में स्थित भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या 280 खसरा संख्या 222 कुल रकबा 1.9416 हैक्टेयर में आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.08.2023 तक उपरोक्त भूमि के मौके की यथास्थिति व प्रार्थी के हिस्से आराजी में उपयोग उपभोग हेतु कोई बाधा कारित नही करे। उक्त स्थगन राजकीय विभागो के कार्य/न्यायालय के आदेश/न्यायालय आदेश द्वारा रास्तों के अमल दरामद/राको रोडा के तहत बैंक कार्यवाही पर लागू नही होगा। अप्रार्थीगणों नोटिस तामिल के सामान्य एवं साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेजात व नोटिस की प्रतिया रजि. डाक से भिजवाना करें तथा आगामी पेशी पर इस आश्य का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे। प्रकरण की स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि है लिहाजा प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण की एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करे तथा आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानो के अनुसार युक्तियुक्त निर्णय कराने के लिए हरसंभव यत्न करे अन्यथा अंतरिम आदेश को आइंदा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व	

	न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधित /वैकेंट कर दी जायेगी। पत्रावली वास्ते तामील हेतु दिनांक 25.08.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराईं C/No. 33/2023 उनवान मूलचन्द V/s कुंजबिहारी
18/8/23	पत्रावली वकील प्रार्थी द्वारा मूल वाद मे प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 151 C.P.C. वास्ते शीघ्र सुनवाई व Not press करने बाबत पेश करने व उक्त प्रा० पत्र स्वीकार होने को मूल वाद के साथ नियत तिथि से पूर्व आज तलब की गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि वे प्रा०पत्र को अब आगे नही चलाना चाहते है तथा आदेशिका पर Not press का अंकन किया। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी को सुना गया। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. Not press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)

Not press